

अध्याय IV: अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन

इस अध्याय में स्रोत पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, घरों से ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण और अपशिष्ट के भूमि भरण स्थलों तक द्वितीयक परिवहन की स्थिति को शामिल किया गया है।

अध्याय का सारांश:

- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय मिश्रित अपशिष्ट को संग्रहीत कर उसका परिवहन अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, भूमि भरण अथवा क्षेपण स्थल पर कर रहे थे और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा द्वारा 495 घरों में संपादित सार्वजनिक सर्वेक्षण के दौरान स्रोत पृथक्करण का कोई दृष्टांत नहीं पाया गया।
- नमूना जांच किये गये 38 शहरी स्थानीय निकायों (84 प्रतिशत) में, निधि निर्गत होने के तीन साल से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट की छंटाई के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों के लिए द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा का अपर्याप्त आच्छादन पाया गया। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में किये गए सार्वजनिक सर्वेक्षण में 61 प्रतिशत उत्तरदाता द्वार-द्वार संग्रहण से संतुष्ट नहीं थे।
- लेखापरीक्षा में दो शहरी स्थानीय निकायों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए लगी फर्मों को धनराशि ₹ 4.06 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/परिहार्य भुगतान भी पाया गया। इसके अतिरिक्त, चार शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के संग्रहण/द्वितीयक भण्डारण के लिए कूड़ेदानों के क्रय पर ₹ 58.75 लाख का अलाभकारी/परिहार्य व्यय किया।
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से तीन शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर, ठोस अपशिष्ट के परिवहन और निस्तारण का सही तरीके से अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं/भूमि भरण स्थलों पर धर्मकाँटे स्थापित नहीं किये

गये थे।

- शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट के परिवहन के लिए बिना विभाजन वाले वाहनों /खुले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। अग्रेतर, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन और संग्रहण दक्षता में सुधार के लिए अपशिष्ट परिवहन वाहनों के आवागमन का पता लगाने के लिए वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे थे।

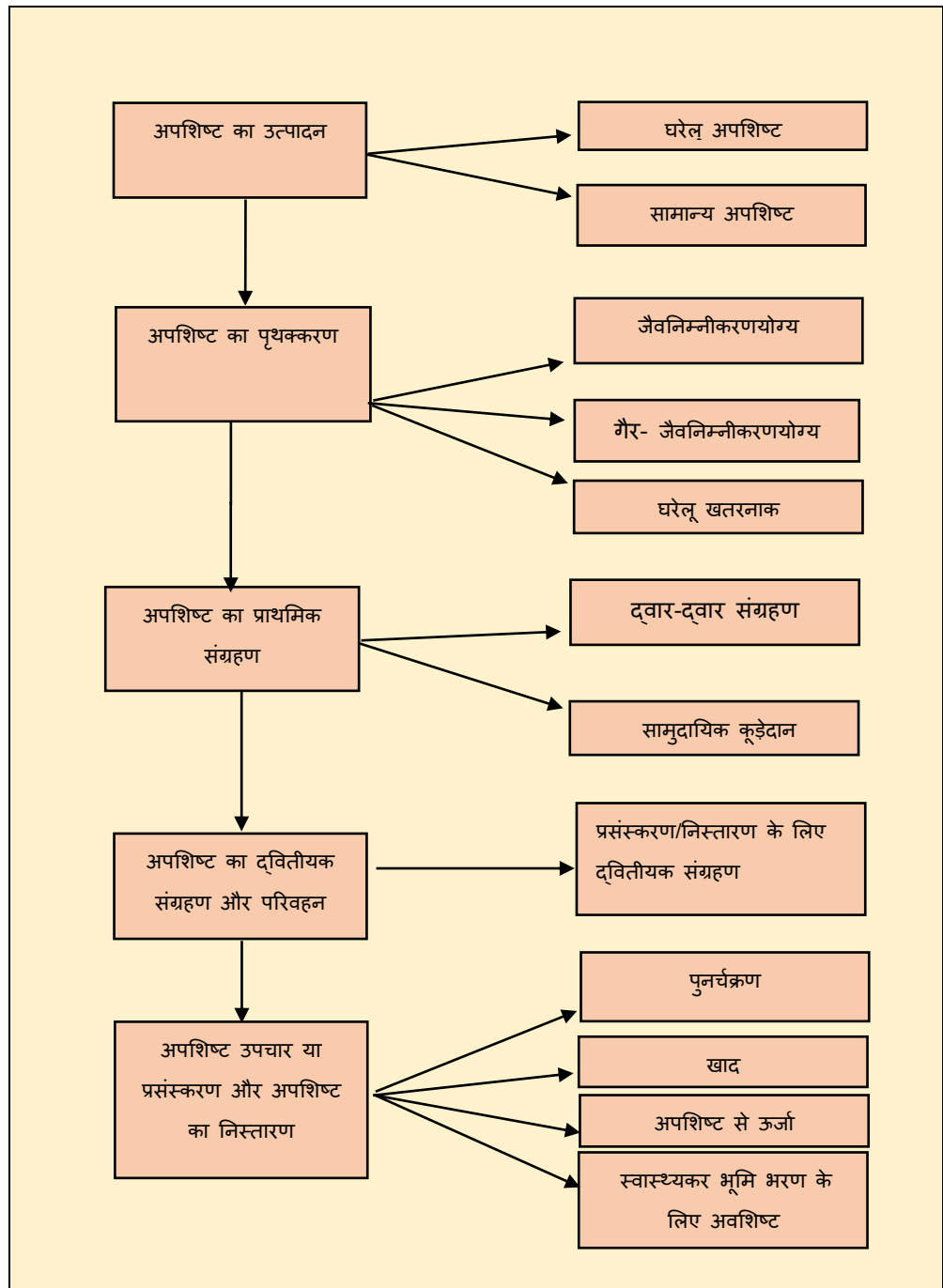
4.1 पृथक्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। पृथक्करण ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों, अर्थात् जैवनिम्नीकरणयोग्य अपशिष्ट या गीला अपशिष्ट, गैर-जैवनिम्नीकरणयोग्य अपशिष्ट या सूखा अपशिष्ट (पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, दहनशील अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रण निष्क्रिय अपशिष्ट सहित), घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को छांटने और अलग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पृथक्कृत नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण एक आवश्यक चरण है। अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं को प्राथमिक और द्वितीयक संग्रहण में विभाजित किया गया है। प्राथमिक संग्रहण से तात्पर्य पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को इसके उत्पादन के स्रोत से इकट्ठा करने, उठाने और हटाने की प्रक्रिया से है। द्वितीयक संग्रहण में सामुदायिक कूड़ेदान, अपशिष्ट भंडारण डिपो या अंतरण स्थानों से अपशिष्ट उठाना और इसे परिवहन कर अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों या अंतिम निस्तारण स्थल तक पहुंचाना शामिल है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण चार्ट 4.1 में दिया गया है:

चार्ट 4.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया



(स्रोत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016)

4.1.1 अपशिष्ट का पृथक्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 (ए) के अनुसार प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को उनके द्वारा उत्पन्न किये गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात जैवनिम्नीकरणयोग्य,

गैर-जैवनिम्नीकरणयोग्य और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट¹ के तीन अलग-अलग कूड़ेदानों में भंडारित करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (आई) के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित करेंगे और सुरक्षित निस्तारण के लिए इन केंद्रों पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को जमा करने के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निर्देशित करेंगे।

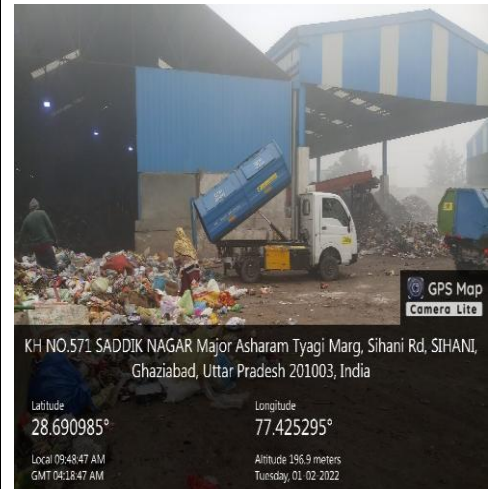
निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 44 निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, घरों/ उत्पन्नकर्ताओं द्वारा जैवनिम्नीकरणयोग्य, गैर-जैवनिम्नीकरणयोग्य और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए पृथक कूड़ेदानों में अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक नहीं किया जा रहा था, जबकि एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम लखनऊ) ने सूचित किया था कि अपशिष्ट को स्रोत पर आंशिक रूप से पृथक किया गया था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर यह भी पाया कि 12 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के लिये घरों को प्रोत्साहित करने के लिए कूड़ेदान वितरित किये थे जबकि 22 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था और शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित नहीं किये गये थे।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय घरेलू खतरनाक अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट को संग्रहीत कर उसका परिवहन अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, भूमि भरण या क्षेपण स्थल पर कर रहे थे। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 495 घरों में किये गए सार्वजनिक सर्वेक्षण में लेखापरीक्षा ने पाया कि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदान का उपयोग नहीं किया, जबकि स्रोत पृथक्करण का कोई दृष्टांत नहीं पाया गया। इस प्रकार, स्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करने

¹ घरेलू खतरनाक अपशिष्ट में घरेलू स्तर पर फेंके गये पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइट, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, इस्तेमाल की गयी बैट्रीज, प्रयुक्त सुईयां, गेज और सीरिंज आदि शामिल हैं।

के लिए कोई अनुश्रवण नहीं किया गया। कुछ दृष्टान्तों को निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

चित्र : 4.1

	
लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थल पर अपृथक्कृत अपशिष्ट का क्षेपण किया जा रहा था	गाजियाबाद के सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र में अपृथक्कृत अपशिष्ट का क्षेपण किया जा रहा था
	
नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को परिवहन किये गये मिश्रित अपशिष्ट से पृथक् किया गया	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र पर परिवहन किये गये मिश्रित अपशिष्ट से घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक् किया गया

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहीत करने के लिए विभिन्न घटकों से सुसज्जित संग्रहण और परिवहन वाहनों को क्रय के लिए वित्त पोषित किया गया है। अपशिष्ट के शत प्रतिशत पृथक्कृत संग्रहण को सुधारने और सुनिश्चित करने के लिए, अनुनय और दंड के आधार पर एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया

कि नगर निगम गाजियाबाद सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों, स्कूल कार्यक्रमों, राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर रैलियों आदि के माध्यम से अपशिष्ट का स्रोत पृथक्करण के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। इसमें अग्रेतर, बताया गया है कि पृथक्करण एक नागरिक जिम्मेदारी है और यह तब विफल हो जाता है जब कुछ घरों में द्वार-द्वार संग्रहण प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट को पृथक्कृत अपशिष्ट में मिला दिया जाता है। राज्य सरकार ने घरेलु खतरनाक अपशिष्ट के संबंध में बताया कि दो² शहरी स्थानीय निकायों में संग्रहीत घरेलु खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र पर किया जा रहा था जबकि नगर निगम गाज़ियाबाद में घरेलु खतरनाक अपशिष्ट का संग्रहण द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों में संयोजित अतिरिक्त कूड़ेदान के माध्यम से घरों से सुनिश्चित किया जा रहा था।

तथ्य यह है कि अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार के माध्यम से शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण को सुनिश्चित किया जाय। अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपविधि को तैयार करने और लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की विफलता के कारण भी अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन के लिए जुर्माना नहीं लगाया गया।

4.1.2 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के स्थापना की स्थिति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की धारा 15(एच) के अनुसार, पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को छांटने के लिए पर्याप्त जगह के साथ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र या द्वितीयक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करना स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। इन सुविधाओं को अनौपचारिक या अधिकृत अपशिष्ट बीनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को अलग करने में सक्षम बनाना चाहिए। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र को अपशिष्ट बीनने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए उत्पादन के स्रोत से या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र से ही पृथक्कृत पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और कपड़ा संग्रहीत करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

² नगर पालिका परिषद बुलंदशहर एवं नगर पंचायत खानपुर (बुलंदशहर)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य मिशन निदेशक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत 734 शहरी स्थानीय निकायों को 735 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों³ के निर्माण के लिए धनराशि ₹ 247.48 करोड़⁴ की अवमुक्त की गयी। इसके अतिरिक्त, मशीनरी क्रय के लिए 491 शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 83.35 करोड़ (नवंबर 2021) अवमुक्त किये गये, जैसे वेडिंग स्केल मशीन, कन्वेयर बेल्ट, श्रेडर इत्यादि। तथापि, इनमें से 124 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों हेतु सिविल कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था जबकि 127 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र निर्माणाधीन थे। 439 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के प्रकरण में, सिविल कार्य को पूर्ण कर लिया गया था लेकिन ये सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील नहीं थे। अग्रेतर, राज्य मिशन निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, राज्य में मात्र 45 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र ही क्रियाशील⁵ थे, जहां मार्च 2022 तक पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट/सामग्री की छंटार्ई की जा रही थी।

राज्य मिशन निदेशक ने सूचित किया (मार्च 2024) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न उप-घटकों से व्यय को समेकित करने के बाद शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के सिविल निर्माण के लिए उपभोग की गयी धनराशि की सूचना पृथक से देना संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, राज्य में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्गत की गयी निधि के उपभोग की स्थिति की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

³ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए नगर निगम प्रयागराज और नगर पंचायत झूंसी को धनराशि अवमुक्त की गयी, जबकि बाद में नगर पंचायत झूंसी को नगर निगम प्रयागराज में मिला दिया गया।

⁴ अगस्त 2019 में 651 शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 219.5284 करोड़ और नवंबर 2021 में 83 शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 27.95 करोड़ अवमुक्त किये गये।

⁵ राज्य मिशन निदेशक द्वारा प्रदान की गयी 45 क्रियाशील सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र की सूची में पांच नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पांच सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र शामिल हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि इन पांच सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र में से मात्र दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम कानपुर और नगर निगम लखनऊ) में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील थे। नगर निगम गाजियाबाद, नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर और नगर पंचायत सैदपुर गाज़ीपुर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र को अभी भी क्रियाशील किया जाना शेष था, जैसा कि **परिशिष्ट: 4.1** में दर्शाया गया है।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों की अवस्थाओं जैसे भूमि की उपलब्धता, निर्माण की स्थिति, मशीनरी का क्रय एवं स्थापना व क्रियाशील होने की स्थिति आदि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.1** में वर्णित है तथा सारांश के रूप में **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: मार्च 2022 तक नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के स्थापना की स्थिति*

क्रम संख्या	विवरण	शहरी स्थानीय निकाय की संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम
1	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिये भूमि की अनुपलब्धता	5	नगर पालिका परिषद: चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट, रायबरेली । नगर पंचायत: जरवल (बहराइच), बकेवर (इटवा), चितबड़ागांव (बलिया)
2	भूमि उपलब्ध परंतु सिविल कार्य प्रारंभ नहीं	3	नगर पालिका परिषद: उतरौला (बलरामपुर), रामनगर (वाराणसी)। नगर पंचायत: कटरा (शाहजहांपुर)
3	सिविल कार्य प्रगति पर	8	नगर पालिका परिषद: एटा, शामली, नगर पंचायत : बिठूर (कानपुर नगर), बिलसंडा (पीलीभीत), झालू (बिजनौर), आनंदनगर (महाराजगंज), रेवती , (बलिया), राजापुर (चित्रकूट)
4	निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ परंतु रोक दिया गया	3	नगर पालिका परिषद : दातागंज (बदायूं), सिकंदरा राव (हाथरस), लोनी (गाजियाबाद)।
5	सिविल कार्य पूर्ण परंतु मशीनरी क्रय नहीं की गयी	12	नगर निगम : गाजियाबाद; नगर पालिका परिषद: महोबा, हाथरस, पीलीभीत शाहाबाद (हरदोई), बहेड़ी (बरेली), मुजफ्फरनगर, औरैया, नगर पंचायत : सैदपुर (गाजीपुर), रुधौली बाजार (बस्ती), कुलपहाड (महोबा) जहानाबाद (पीलीभीत)।
6	सिविल कार्य पूर्ण और मशीनरी क्रय की गयी परंतु स्थापित नहीं की गयी	2	नगर पालिका परिषद: देवरिया; नगर पंचायत : बल्देव (मथुरा)

क्रम संख्या	विवरण	शहरी स्थानीय निकाय की संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम
7	सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनें स्थापित की गयी परंतु सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील नहीं	5	नगर पालिका परिषद: महमूदाबाद (सीतापुर), नगर पंचायत : खानपुर (बुलंदशहर) जेवर (गौतम बुद्ध नगर), सहसपुर (बिजनौर), टिकरी (बागपत)
8	क्रियाशील सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र	7	नगर निगम : लखनऊ , कानपुर; नगर पालिका परिषद: देवबंद (सहारनपुर), बुलंदशहर नगर पंचायत : कप्तानगंज (कुशीनगर), उसावां (बदायूं), जीयनपुर (आजमगढ़)

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

* राज्य सरकार के उत्तर (जून 2023) और शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना (जुलाई 2024) के अनुसार अद्यतन स्थिति ।

उत्तर (जून 2023) में, राज्य सरकार ने 14 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र स्थापित करने की स्थिति उपलब्ध करायी और शहरी स्थानीय निकायों से अग्रेतर अद्यतन सूचना प्राप्त (जुलाई 2024) हुई, जिसके अनुसार सात सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील थे।

इस प्रकार, निधियां निर्गत किये जाने के तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद नमूना जांच किये गये 38 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।

4.2 संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.2 में प्रावधान है कि नगरीय अपशिष्ट का पृथक्कृत संग्रहण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण चरण है। अकुशल अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं का सार्वजनिक स्वास्थ्य, कस्बों और शहरों के सौंदर्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का पृथक्कृत संग्रहण, पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं की अधिकतम पुनर्प्राप्ति को समर्थ बनाता है। यह ऐसे अपशिष्ट के लागत प्रभावी उपचार की क्षमता को भी बढ़ाता है।

4.2.1 अपशिष्ट संग्रहण की स्थिति

राज्य में 2016-22 की अवधि के दौरान और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संग्रहीत अपशिष्ट की मात्रा **परिशिष्ट 4.2(ए)** और **4.2(बी)** में वर्णित है और **चार्ट 4.2** में भी दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.2: 2016-22 के दौरान राज्य एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संग्रहीत अपशिष्ट की मात्रा



(स्रोत: निदेशक स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना)

चार्ट 4.2 इंगित करता है कि 2016-22 के बीच के वर्षों में राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के संग्रहण में सुधार हुआ था। तथापि, जैसा कि प्रस्तर 2.6 में चर्चा की गयी है, अपशिष्ट उत्पादन पर आंकड़ा विश्वसनीय नहीं था क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों ने कई वर्षों में अपशिष्ट उत्पादन के समान आंकड़ों का अनुमान लगाया था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2021-22 में, अपशिष्ट उत्पादन और संग्रहण के आंकड़े 45 नमूना जांच किये गये शहरीय स्थानीय निकायों में से 41 में (नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर, नगर पंचायत कटरा, शाहजहांपुर, और नगर पंचायत बिलसंडा, पीलीभीत के अतिरिक्त) समान थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** और **परिशिष्ट 4.2(ए)** में वर्णित है।

अग्रेतर, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान किये गये सार्वजनिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 46 प्रतिशत घरों को द्वार-द्वार अपशिष्ट संग्रहण की सुविधा प्रदान नहीं की गयी थी। इस प्रकार, राज्य सरकार एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के संबंध में उपलब्ध कराये गये आंकड़े वास्तविक नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को संग्रहण और परिवहन वाहनों को क्रय के लिए वित्त पोषित किया गया था। तथापि, उत्तर में अपशिष्ट संग्रहण पर अविश्वसनीय आकड़ों पर लेखापरीक्षा टिपण्णी को संबोधित नहीं किया गया था।

4.2.2 धर्मकाँटा का अभाव

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 1.4.3.3.1 के अनुसार, घरों, बाजारों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। शहर से संग्रहीत सम्पूर्ण अपशिष्ट को अंतरण स्थानों पर स्थापित धर्मकाँटा या प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं के मार्ग पर तौला जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल पाँच⁶ शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट का वजन करने के लिए धर्मकाँटा था। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रति दिन वाहनों द्वारा लगाये गये फेरों की संख्या को वाहन के आयतन से गुणा के आधार पर संग्रहीत अपशिष्ट की मात्रा निर्धारित नहीं की गयी। धर्मकाँटा के अभाव के कारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट परिवहन और निस्तारण की मात्रा की प्रामाणिकता का लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सही प्रकार से अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रसंस्करण सुविधाओं पर धर्मकाँटा स्थापित किये जा रहे थे। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि प्रमाणित अध्ययनों के आधार पर प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक

⁶ नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर(असंचालित) और नगर पालिका परिषद रायबरेली (असंचालित)

स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के मानकों का उपयोग करते हुए फॉर्म IV रिपोर्ट⁷ तैयार की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपशिष्ट संग्रहण के आंकड़े केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन मानकों की बजाय वास्तविक संग्रहण के वजन पर आधारित होने चाहिए।

4.2.3 अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (बी) में प्रावधान है कि स्थानीय प्राधिकरण झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। बहुमंजिला इमारतों या अपार्टमेंट, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवास परिसरों आदि के प्रकरण में, अपशिष्ट प्रवेश द्वार या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से संग्रहीत किया जा सकता है।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से दस⁸ ने आंशिक रूप से द्वार-द्वार संग्रहण सेवा बाह्य सेवाप्रदाता के माध्यम से किया गया था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 495 घरों के संपादित सार्वजनिक सर्वेक्षण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 61 प्रतिशत उत्तरदाता नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में द्वार-द्वार संग्रहण से संतुष्ट नहीं थे, जो इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपर्याप्त सेवा का संकेत देते थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

4.2.3.1 द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा का अपर्याप्त आच्छादन नगर निगम लखनऊ

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 में, लखनऊ शहर में अपशिष्ट के परिवहन और प्रसंस्करण के लिए नगर निगम लखनऊ, निर्माण और

⁷ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

⁸ नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, नगर पालिका परिषद बहेड़ी, नगर पालिका परिषद लोनी, नगर पालिका परिषद हाथरस, नगर पालिका परिषद शामली और नगर पालिका परिषद महोबा।

डिजाइन सर्विसेज जल निगम और मैसर्स इको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था। फर्म को सेवाओं के लिए ₹ 1,604 प्रति मीट्रिक टन⁹ की बख्शीश फीस प्राप्त करना था। तथापि, नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार, शहर के सभी घरों को 2017-22 (**परिशिष्ट 4.3**) के दौरान द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा द्वारा आच्छादित नहीं किया गया था। द्वार-द्वार संग्रहण के तहत घरों का आच्छादन 2017-18 में 47 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 79 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, मार्च 2022 तक शहर के 21 प्रतिशत घर द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा से वंचित थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रियायतग्राही अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही को 100 प्रतिशत घरों को आच्छादित करना था, लेकिन कर्तव्यों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण, रियायतग्राही के खिलाफ विधिक कार्यवाही की गयी है। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि द्वार-द्वार संग्रहण के लिए नई योजना तैयार है।

तथ्य यह है कि शहर को पूर्णतया द्वार-द्वार संग्रहण से आच्छादित नहीं किया गया था।

नगर निगम कानपुर

नगर निगम कानपुर ने (अक्टूबर 2016) मेसर्स जेटीएन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर का चयन कानपुर शहर के छह क्षेत्रों में 110 वार्डों में 5.22 लाख घरों को द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं के लिए किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि द्वार-द्वार संग्रहण सेवा को 2017 से 2022 की अवधि के दौरान कुछ वार्डों में केवल आंशिक रूप से आच्छादित किया गया था। द्वार-द्वार संग्रहण का आच्छादन 2017-18 के दौरान 75 वार्डों (68 प्रतिशत), 2018-19 के दौरान 74 वार्डों (67 प्रतिशत), 2019-20 के दौरान 77 वार्डों (70 प्रतिशत), 2020-21 के दौरान 66 वार्डों (60 प्रतिशत) और 2021-22 के दौरान 44 वार्डों (40 प्रतिशत) में था। इस प्रकार, फर्म द्वारा 2017 से 2022 की अवधि के दौरान 30 से 60 प्रतिशत वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सेवाएं प्रदान नहीं की गयीं।

⁹ द्वार-द्वार संग्रहण के लिए ₹ 1,439 प्रति मीट्रिक टन और अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए ₹ 165 प्रति मीट्रिक टन।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि वर्तमान में वर्ष 2022-23 के लिए द्वार-द्वार संग्रहण 100 प्रतिशत वार्डों में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि नगर निगम कानपुर ने पिछले वर्षों में आंशिक द्वार-द्वार संग्रहण के लिए फर्म को नोटिस निर्गत किये थे।

नगर पालिका परिषद रायबरेली

नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, शहर में अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण 2016-21¹⁰ के दौरान तीन फर्मों¹¹ द्वारा रुक-रुक कर किया गया था। नगर पालिका परिषद के पास द्वार-द्वार संग्रहण के तहत इन फर्मों द्वारा आच्छादित किये गये घरों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी। अग्रेतर, फर्मों ने ₹22.19 लाख¹² उपयोक्ता प्रभार संग्रह किया था। नगर पालिका परिषद ने बताया (फरवरी 2022) कि उपयोक्ता प्रभार सभी घरों से संग्रह नहीं किये गये थे, लेकिन नगर पालिका परिषद को बकायेदारों की संख्या के बारे में पता नहीं था। तथापि, 2021-22 के दौरान सभी 34 वार्डों को द्वार-द्वार संग्रहण के तहत आच्छादित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी 34 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि फर्म द्वारा घरों से उपयोक्ता प्रभार संग्रह किये गये थे और नगर पालिका परिषद के खातों में जमा किये गये थे जिसे फर्म को द्वार-द्वार संग्रहण और सूचना शिक्षा एवं संचार कार्य में व्यय के लिए लौटा दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर पालिका परिषद रायबरेली ने 2016-21 के दौरान द्वार-द्वार संग्रहण के तहत सभी घरों का आच्छादन सुनिश्चित नहीं किया। नगर पालिका परिषद ने द्वार-द्वार संग्रहण सेवा के लिए लगी निजी फर्मों द्वारा द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली

¹⁰ आच्छादित किये गये वार्डों: 2016-17 में 31 वार्डों में से 15 (48 प्रतिशत), 2017-18 में 31 वार्डों में से 14 (45 प्रतिशत), 2020-21 में 31 वार्डों में से 20 (65 प्रतिशत) और 2021-22 में 34 वार्डों में से 34 (100 प्रतिशत)।

¹¹ मैसर्स एकोर्ड हाइड्रो एयर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इंटेंस सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स प्रकृति पर्यावरण संरक्षण संस्थान।

¹² 2017-18 में ₹ 14.12 लाख, 2020-21 में ₹ 4.85 लाख और 2021-22 में ₹ 3.22 लाख।

का अनुश्रवण भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, नगर पालिका परिषद को इन फर्मों द्वारा उपयोक्ता प्रभार की वास्तविक वसूली और बकायेदार घरों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी जिनसे बकाया उपयोक्ता प्रभार की वसूली नहीं की जा सकी।

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016 से 2020 की अवधि के दौरान नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के 50 वार्डों में से किसी भी वार्ड में अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण नहीं किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए, नगर पालिका परिषद और ठेकेदार के बीच द्वार-द्वार संग्रहण और शहर क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से सड़क की सफाई के लिए एक अनुबंध (मार्च 2020) निष्पादित किया गया था। अनुबंध के अनुसार, द्वार-द्वार संग्रहण के लिए वाहन नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जाने थे और ठेकेदार को वाणिज्यिक दुकानों/प्रतिष्ठानों से उपयोक्ता प्रभार संग्रह करना था। तथापि, ठेकेदार ने वर्ष 2020-21 में मात्र आंशिक रूप से काम किया क्योंकि नगर पालिका परिषद द्वारा मात्र तीन वाहन प्रदान किये गये थे और ठेकेदार द्वारा कोई उपयोक्ता प्रभार भी वसूल नहीं किया गया था। ठेकेदार ने मार्च 2021 से काम बंद कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद और शहर के 10 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं के लिए एक अन्य ठेकेदार के बीच एक अनुबंध (जून 2020) निष्पादित किया गया था। ठेकेदार ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 में इन वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण का कार्य किया। इस प्रकार, शहर में कोई भी वार्ड 2016-20 में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा के तहत आच्छादित नहीं किया गया था और 2020-22 के दौरान 50 वार्डों में से मात्र 10 वार्डों के घरों को द्वार-द्वार संग्रहण से आच्छादित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर ने 2022-23 में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए एक निविदा जेम पोर्टल पर प्रकाशित किया था। तथापि, किसी भी फर्म ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया।

तथ्य यह है कि इन प्रयासों के बावजूद, 2016-22 की अवधि के दौरान शहर के सभी वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा प्रदान नहीं की गयी थी।

नगर पालिका परिषद हाथरस

नगर पालिका परिषद हाथरस के नगरपालिका बोर्ड ने शहर के सभी 27 वार्डों में अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (फरवरी 2019) प्रदान की। इसके बाद, नगर पालिका परिषद और मेसर्स अरवा एसोसिएट्स झांसी के बीच 27 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए एक अनुबंध (फरवरी 2020) निष्पादित किया गया था। तथापि, नगर पालिका परिषद ने 17 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए फर्म को कार्यादेश निर्गत (अगस्त 2020) किया। परिणामस्वरूप, शहर के 10 वार्ड द्वार-द्वार संग्रहण सेवा से अनाच्छादित रहे। नगर पालिका परिषद ने द्वार-द्वार संग्रहण के अंतर्गत शेष वार्डों को शामिल न करने का कारण नहीं बताया।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि फर्म ने अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 के दौरान मासिक बिल प्रस्तुत किया, जिसमें अलग-अलग संख्या में 16,950 से 19,483 घरों तथा 4,399 से 5,056 वाणिज्यिक संपत्तियों को आच्छादित करने का दावा किया गया। नगर पालिका परिषद ने मासिक बिलों में प्रस्तुत दावों के अनुसार फर्म को भुगतान किया। तथापि, नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (मार्च 2022) के अनुसार, 2020-21 के दौरान इन 17 वार्डों में 15,716 घर और 2,503 वाणिज्यिक संपत्तियां तथा 2021-22 में 15802 घर और 2571 वाणिज्यिक संपत्तियां थीं। इसके परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 30.22 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.4(ए)** में वर्णित है।

अग्रेतर, अनुबन्ध के अनुसार फर्म को प्रथम वर्ष में सेवा प्रदान किये गये घरों से कम से कम 40 प्रतिशत उपयोक्ता प्रभार संग्रह करना था और बाद के दूसरे वर्ष से इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी थी। आगे, नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत बिलों के आधार पर फर्म को भुगतान करना था, जिसमें बिलों में दावा किये गये 60 प्रतिशत प्रभार और फर्म द्वारा संग्रह और जमा किये गये वास्तविक उपयोक्ता प्रभार शामिल थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 75.44 लाख के अनिवार्य न्यूनतम उपयोक्ता प्रभार के सापेक्ष फर्म ने सितंबर 2020 से मार्च 2022 तक मात्र ₹ 12.34 लाख (16 प्रतिशत) का संग्रह किया। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि फर्म को भुगतान प्रथम वर्ष में अनुबंध के अनुसार किया गया था। तथापि, दूसरे वर्ष के दौरान, नगर पालिका परिषद ने फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों में से अपेक्षित 50 प्रतिशत की कटौती के स्थान पर मात्र

40 प्रतिशत की कटौती की। जिसके कारण सितंबर 2021 और मार्च 2022 के मध्य ₹ 7.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 4.4(बी)** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि फर्म द्वारा सफाई निरीक्षक/सफाई नायक की पर्यवेक्षण में आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों का सत्यापन किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये घरों /वाणिज्यिक संपत्तियों के विवरण के सापेक्ष, घरों /वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की अधिक संख्या के लिए भुगतान किया गया था। अग्रेतर, दूसरे वर्ष का भुगतान उपयोक्ता प्रभार के अधिक अनिवार्य संग्रहण के समायोजन हेतु आवश्यक कटौती किये बिना ही किया गया था।

4.2.3.2 नगर पालिका परिषद लोनी में द्वार-द्वार संग्रहण के हेतु वाहनों और सफाईकर्मियों का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 3.68 करोड़ परिहार्य भुगतान

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.5, तालिका 2.3 में प्रावधान है कि हल्के वाणिज्यिक वाहन से एक वाहन चालक और दो हेल्पर के साथ 1,000 घरों (500 से 700 किलोग्राम क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक वाहन के प्रकरण में) या 1,500 से 2,000 घरों (700 किलोग्राम से अधिक क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक वाहन के प्रकरण में) को आच्छादित किया जा सकता है। इस मानक के आधार पर, राज्य सरकार ने भी यह उल्लेख किया था (अगस्त 2019) कि हल्के वाणिज्यिक वाहनों द्वारा औसतन 1,200 से 1,500 घरों को आच्छादित किया जा सकता है।

नगर पालिका परिषद लोनी ने फर्म मेसर्स आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेज, लखनऊ के साथ सभी वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए ₹1.54 करोड़ मासिक भुगतान की सहमति के साथ एक अनुबंध (अगस्त 2018) किया। फर्म के स्वीकृत प्रस्ताव¹³ के अनुसार, 33,000 घरों को 55 टाटा एस टिपर से आच्छादित किया जाना था, जिसमें प्रत्येक टिपर के साथ एक वाहन चालक और तीन सफाई कर्मी लगाये जाने थे। टिपर, वाहन चालक

¹³ 55 टाटा एस टिपर x 3 सफाई कर्मी = 165 सफाई कर्मी x 200 घर = 33,000 घर;
110 ई-रिक्शा ट्रॉली x 2 सफाई कर्मी = 220 सफाई कर्मी x 200 घर = 44,000 घर;
13 ट्रैक्टर ट्रॉली x 10 सफाई कर्मी = 130 सफाई कर्मी x 200 घर = 26,000 घर (कुल 1,03,000 घर)

और सफाई कर्मों के लिए भुगतान दरें क्रमशः ₹ 18,000, ₹ 12,762 और ₹ 9,162 प्रति माह थीं।

फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 में उपरोक्त निर्धारित मानकों के विपरीत था क्योंकि एक हल्के वाणिज्यिक वाहन द्वारा न्यूनतम 1,200 घरों को एक वाहन चालक और दो हेल्पर के साथ आच्छादित करने के मानक के विरुद्ध मात्र 600 घरों को एक वाहन चालक और तीन सफाई कर्मियों के साथ आच्छादित करने का प्रस्ताव दिया गया था। तथापि, नगर पालिका परिषद ने बाह्य सेवाप्रदाता फर्म के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहन और जनशक्ति के इस अधिक अनुमान पर विचार नहीं किया। फलस्वरूप, नगर पालिका परिषद प्रति टिपर 600 अतिरिक्त घरों को आच्छादित करने के अवसर से वंचित रहा और प्रत्येक टिपर के लिए एक अतिरिक्त सफाई कर्मों का प्रावधान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म के स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 33,000 घरों के अनुमानित आच्छादन के लिए 55 टिपर, 55 वाहन चालक और 165 सफाई कर्मों की आवश्यकता थी, जबकि इसे मात्र 28 टिपर, 28 वाहन चालक और 56 सफाई कर्मों के साथ आच्छादित¹⁴ किया जा सकता था। 33,000 घरों को आच्छादित करने के लिए 27 टिपर, 27 वाहन चालक और 109 सफाई कर्मों के अधिक प्रावधान के कारण नगर पालिका परिषद द्वारा नवंबर 2018 और नवंबर 2020 के मध्य द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं के लिए फर्म को ₹ 3.68 करोड़¹⁵ का परिहार्य भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.5(ए)** और **(बी)** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद लोनी का उत्तर प्रतीक्षित था।

¹⁴ टिपर्स की आवश्यक संख्या = (घरों की संख्या/प्रत्येक टिपर के साथ आच्छादित किये गये घर) = $33000/1200 = 28$; ड्राइवर = 28 एवं सफाई कर्मों = 28×2 सफाई कर्मों प्रति टिपर = 56.

¹⁵ टिपर्स को किराये पर लेने पर ₹ 98.46 लाख के अधिक भुगतान और अतिरिक्त तैनात जनशक्ति पर ₹ 269.23 लाख के अधिक भुगतान की धनराशि का योग।

4.2.4 सामुदायिक/भण्डारण कूड़ेदानों के क्रय में अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के संग्रहण और अपशिष्ट के द्वितीयक भण्डारण के लिए कूड़ेदानों का क्रय किये जिनमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं:

4.2.4.1 नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं में ट्विन बिन के क्रय पर अलाभकारी व्यय

राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) ने स्टैंड के साथ 250 हरे और नीले रंग के ट्विन बिन कूड़ेदान क्रय हेतु स्वीकृति (अक्टूबर 2018) प्रदान की एवं नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं को ₹ 13.13 लाख अवमुक्त किये। इन कूड़ेदान का उद्देश्य घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गीले और सूखे अपशिष्ट के पृथक् संग्रहण के लिए था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं ने जेम पोर्टल के माध्यम से मैसर्स कैपिटल रिसेलर कासगंज को 250 कूड़ेदानों के लिए आपूर्ति आदेश (जनवरी 2020) दिया था। 188 कूड़ेदानों की आपूर्ति मार्च 2020 में प्राप्त हुई थी। नगर पालिका परिषद ने अवर अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बदायूं और जलकल अभियंता, नगर पालिका परिषद बदायूं द्वारा आपूर्ति को संतोषजनक प्रमाणित करने के बाद फर्म को ₹ 12.78 लाख का भुगतान अवमुक्त (अप्रैल 2020) किया। तथापि, नगर पालिका परिषद में अधोमानक कूड़ेदानों की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत (मई 2020) के बाद जिलाधिकारी बदायूं के निर्देश पर की गयी जांच (जनवरी 2021) में आपूर्ति किये गये कूड़ेदान अधोमानक गुणवत्ता के पाये गये। इसके बाद, जिलाधिकारी बदायूं के निर्देशों (जनवरी 2021) के संदर्भ में, नगर पालिका परिषद दातागंज के अधिशासी अधिकारी ने उत्तरदायी अधिकारियों और फर्म को अधोमानक कूड़ेदानों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका परिषद के बैंक खाते में ₹ 12.78 लाख¹⁶ जमा करने के लिए नोटिस

¹⁶ मैसर्स कैपिटल रिसेलर: ₹ 6,39,200 अवर अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग बदायूं ₹ 4,79,400 और जलकल अभियंता, नगर पालिका परिषद बदायूं ₹ 1,59,800.

निर्गत किये (जनवरी और मई 2021)। तथापि, जून 2023 तक, धनराशि जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि क्रय किये गये कूड़ेदानों का उपयोग नहीं किया गया था और इन्हें कार्यालय की छत पर एक खुले क्षेत्र में भंडारित कर दिया गया था, जिससे उसमें ह्रास हो रहा था एवं उसमें जंग लग गयी थी जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:



इस प्रकार, नगर पालिका परिषद दातागंज, बदायूं में ट्विन बिन कूड़ेदानों के क्रय पर ₹ 12.78 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद ने उत्तर में स्वीकार (जून 2023) किया कि अब तक 170 कूड़ेदानों का उपयोग नहीं किया गया था और अधोमानक कूड़ेदानों के क्रय के लिए वसूली लंबित थी।

4.2.4.2 भण्डारण कूड़ेदानों का अवांछित क्रय

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12 में नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर विभिन्न उपकरणों और वाहनों के नियोजन के लिए सांकेतिक मॉडल की रूपरेखा दी गयी है, जैसा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की तालिका 2.4 और 2.5 में वर्णित है। इन तालिकाओं के अनुसार, 1,00,000 तक की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकाय को अपशिष्ट के द्वितीयक संग्रहण के लिए तीन से चार घन मीटर क्षमता के पात्र क्रय करने चाहिए। इन पात्रों को चार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र या प्रति 5,000 जनसंख्या पर एक की दर से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया, नगर पंचायत रेवती बलिया और नगर पालिका परिषद हाथरस ने द्वितीयक संग्रहण के लिए भण्डारण कूड़ेदानों के क्रय के लिए उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.97 लाख का परिहार्य व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है।

- नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया ने 4.5 घन मीटर की क्षमता वाले 15 धातु के कूड़ेदानों का क्रय (मई 2020) किया, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12 में दिए गये मानकों के अनुसार आवश्यक पांच कूड़ेदानों से अधिक थे। इसी तरह, नगर पंचायत रेवती बलिया ने (दिसंबर 2019 और अप्रैल 2020) आवश्यक छः कूड़ेदानों के सापेक्ष 18 कूड़ेदानों का क्रय किया। परिणामस्वरूप, कूड़ेदानों के अधिक क्रय पर ₹ 24.52 लाख का परिहार्य व्यय हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 4.6** में वर्णित है। अग्रेतर, नगर पंचायत रेवती बलिया के पास इन कूड़ेदानों को उठाने के लिए मोटर चालित वाहन नहीं थे, जिससे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसके उपयोग पर प्रश्न चिन्ह उठता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पंचायत रेवती बलिया को भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 में दिए मानकों के सापेक्ष अपशिष्ट के द्वितीयक संग्रहण के लिए अतिरिक्त द्वितीयक कूड़ेदानों की आवश्यकता थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अपशिष्ट का उत्पादन जनसंख्या पर निर्भर करता है और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 में शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये द्वितीयक कूड़ेदानों की संख्या के लिए मानक दिये गये हैं।

- वर्ष 2021 में नगर पालिका परिषद हाथरस की अनुमानित जनसंख्या 1.58 लाख थी। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12 में उल्लिखित मानकों के अनुसार, वर्तमान अनुमानित जनसंख्या द्वारा उत्पन्न अनुमानित अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 3-4 घन मीटर क्षमता के 32¹⁷ कूड़ेदानों की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने 2019-21 के दौरान 1.1 घन मीटर की क्षमता वाले 170¹⁸ धातु के कूड़ेदानों का क्रय किया था। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद में भण्डारण कूड़ेदानों की कुल उपलब्ध क्षमता

¹⁷ आवश्यक कूड़ेदान = $158461/5000 = 32$ नग

¹⁸ 2019-20 में 120 कूड़ेदान तथा 2020-21 में 50 कूड़ेदान क्रय किये गये

84.15 मीट्रिक टन¹⁹ थी, जो 2020-21 के दौरान प्रतिदिन नगर पालिका परिषद में उत्पन्न होने वाले 32.25 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का 261 प्रतिशत और 2021-22 के दौरान प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 74 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का 114 प्रतिशत था। इसके बावजूद, नगर पालिका परिषद ने ₹ 21.45 लाख (मार्च 2022) की लागत से 4.5 घन मीटर की क्षमता वाले अतिरिक्त 25 धातु के कूड़ेदानों का क्रय किया, जिससे बचा जा सकता था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि परिसीमन के कारण 2021 में नगर पालिका परिषद की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई और अतिरिक्त कूड़ेदानों की आवश्यकता हुई। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि नगर पालिका परिषद हाथरस द्वारा नियमों की जानकारी की कमी के कारण 4.5 घन मीटर क्षमता के कूड़ेदानों का क्रय किया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बचा जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर पालिका परिषद हाथरस का परिसीमन राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2022²⁰ में अधिसूचित किया गया था, जबकि अतिरिक्त द्वितीयक भंडारण कूड़ेदानों का क्रय मार्च 2022 में किया गया था। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद हाथरस का उत्तर बाद का विचार था।

4.3 परिवहन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में अपशिष्ट का परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय परिस्थितियों और भूमि भरण स्थल के स्थान के आधार पर, शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, जैसे ठेला गाड़ी, ऑटो टिपर, ट्रैक्टर, टिपर ट्रक और कॉम्पैक्टर।

4.3.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिये बिना विभाजन के वाहन/खुले वाहनों का उपयोग

स्रोत पृथक्करण को तभी सफल माना जाता है जब पृथक्कृत अपशिष्ट सम्पूर्ण परिवहन प्रक्रिया के दौरान पृथक रहे, चाहे परिवहन के दौरान उसे

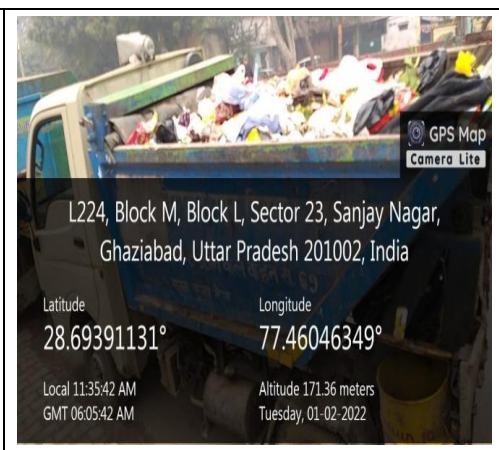
¹⁹ कुल उपलब्ध क्षमता = 170×1.1 घनमीटर = 187 घन मीटर = 187×0.450 मीट्रिक टन /घनमीटर = 84.15 मीट्रिक टन (नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का घनत्व 450 किलोग्राम /घनमीटर मानते हुये)।

²⁰ शहरी विकास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या /9-1-2022-56 परि./22 दिनांक 04 नवंबर 2022.

सीधे प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधा पर या अंतरण स्थल के माध्यम से परिवहन किया जाय। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.2 निर्दिष्ट करती है कि अपशिष्ट को जनमानस की दृष्टि से बचाने एवं फैलने से रोकने के उपायों से युक्त अपशिष्ट परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को ढका जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले 1,659 टिपर में से मात्र 1,118 टिपर (67 प्रतिशत) में पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहण के लिए विभाजन था, जैसा कि **परिशिष्ट 4.7** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, इन शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन के लिए 362 ट्रैक्टरों का उपयोग किया, जिनमें से 324 ट्रैक्टर में विभाजन नहीं था और 334 ट्रैक्टर खुले थे। मिश्रित अपशिष्ट को खुले वाहनों द्वारा ले जाया जा रहा था जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अपशिष्ट पृथक्करण के सम्पूर्ण अभ्यास और अपेक्षित उद्देश्य विफल हो गया ।

चित्र: 4.3

	
नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	नगर निगम गाज़ियाबाद

4.3.2 प्राधिकार के बिना परिवहन वाहनों का उपयोग

मोटर वाहन अधिनियम के नियम 39, 56 और 146 में निर्दिष्ट किया गया है कि सभी मोटर वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र और उनके संचालन के लिए वैध बीमा होना चाहिए।

मार्च 2022 तक 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों (परिशिष्ट 4.8) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से पता चला है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहनों में निम्नलिखित कमियाँ थी:

- (i) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त फिटनेस प्रमाण-पत्र - 2350 वाहनों में से 1620 वाहन (69%) बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र के थे; और
- (ii) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहन - 529 (23 प्रतिशत) वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत नहीं थे; और
- (iii) वाहनों के लिए वैध बीमा - 1441 (61%) वाहन बिना वैध बीमा के थे।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों में फिटनेस प्रमाण पत्र (69 प्रतिशत), पंजीकरण (23 प्रतिशत) और बीमा (61 प्रतिशत) के बिना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग करते हुए पाये गये, जो नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की ओर से आंतरिक नियंत्रण की सामान्य कमी को दर्शाता है। ये कमियाँ विभाग के भीतर आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं।

4.3.3 परिवहन वाहनों का अनुश्रवण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार संचार प्रौद्योगिकियों, जैसे कि वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अनुश्रवण में एकीकृत किया जाना चाहिए।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से स्पष्ट हुआ कि 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 2350 परिवहन वाहनों में से 12 शहरी स्थानीय निकायों (27 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय) के 1677 वाहन (71 प्रतिशत) वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरणों से युक्त थे, जैसा कि **परिशिष्ट 4.9** में वर्णित है। नगर निगम कानपुर के मामले में, सभी 178 वाहन वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली से युक्त थे। तथापि, नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ को छोड़कर नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने वाहनों पर स्थापित वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली के प्रभावी अनुश्रवण के समर्थन में लेखापरीक्षा को अभिलेखीय साक्ष्य जैसे अनुश्रवण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराये।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि नगर पालिका परिषद एटा द्वारा, ₹ 4.14 लाख की लागत से 50 वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरण क्रय (जुलाई 2020) किये गये थे, लेकिन ये उपकरण परिवहन वाहनों में स्थापित नहीं किये गये थे एवं स्टोर में पड़े थे। फलस्वरूप, नगर पालिका परिषद द्वारा अपशिष्ट परिवहन वाहनों की निगरानी वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरणों के बावजूद नहीं की जा रही थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद एटा में वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई, नगर पालिका परिषद उत्तरौला बलरामपुर और नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर में वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली युक्त वाहन थे जिनका अनुश्रवण किया जा रहा था।

राज्य सरकार के उत्तर के उपरांत भी, तथ्य यह है कि वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरण केवल 11 शहरी स्थानीय निकायों के वाहनों में स्थापित किये गये थे, दो शहरी स्थानीय निकायों के वाहनों में आंशिक रूप से स्थापित किये गये थे और 18 शहरी स्थानीय निकायों के किसी भी वाहन में स्थापित नहीं किये गये थे, जबकि शेष 14 शहरी स्थानीय निकायों ने वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली युक्त वाहनों की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय परिवहन और संग्रहण दक्षता में सुधार करने के लिए अपशिष्ट परिवहन वाहनों के आवागमन का पता लगाने के लिए संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहे थे।

4.3.4 वाहनों के आंकलन के लिए त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण

4.3.4.1 राज्य मिशन निदेशक स्तर पर प्राथमिक परिवहन के लिए वाहनों का त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12, तालिका 2.5 निर्दिष्ट करती है कि द्वार-द्वार संग्रहण का 75 प्रतिशत हल्के वाणिज्यिक वाहन का उपयोग करके किया जाना चाहिए और शेष

25 प्रतिशत निर्दिष्ट मानदंडों²¹ के आधार पर तिपहिया साईकिल का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य मिशन निदेशक ने वर्तमान वाहन आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय में परिवहन वाहनों का गैप विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 45 में से सात शहरी स्थानीय निकायों में तिपहिया साईकिल और हल्के वाणिज्यिक वाहन के लिए गैप विश्लेषण त्रुटिपूर्ण था, जैसा कि **परिशिष्ट 4.10** में वर्णित है, क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों में 2018-19 के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे को गैप विश्लेषण के लिए ध्यान में नहीं रखा गया था। परिणामस्वरूप, राज्य मिशन निदेशक ने तिपहिया साईकिल और हल्के वाणिज्यिक वाहन के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत से 252 प्रतिशत और 55 प्रतिशत से 182 प्रतिशत तक अधिक प्रावधान किया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया कि इन सात शहरी स्थानीय निकायों में से छः शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक हल्के वाणिज्यिक वाहन की संख्या 87 प्रतिशत से 173 प्रतिशत तक अधिक थी और दो शहरी स्थानीय निकायों में तिपहिया साईकिल की संख्या 82 प्रतिशत से 117 प्रतिशत तक अधिक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 4.11** में दर्शाया गया है। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई में क्रय (मार्च 2020) किये गये 15 हल्के वाणिज्यिक वाहन में से दो का उपयोग नहीं किया जा रहा था और उन्हें नगर पालिका परिषद परिसर में निरर्थक रखा गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रिकशा द्वारा संग्रहीत किये गये अपशिष्ट को प्रसंस्करण स्थल तक ले जाने के लिए अतिरिक्त टिपर्स का उपयोग किया जा रहा था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि कुछ शहरी स्थानीय निकायों को उनकी मांग पर अतिरिक्त रिकशा के लिए वित्त पोषित किया गया था क्योंकि उनके पास औसत से अधिक संकरी गलियां थीं। तथापि, उत्तर शहरी स्थानीय निकायों में वाहनों की मौजूदा संख्या को ध्यान में रखे बिना त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण के मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता है ।

²¹ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.5, तालिका 2.3 में अनुमानित जनसंख्या प्रदान की गयी है जिसे विभिन्न प्रकार के द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों का उपयोग करके सेवा प्रदान की जायेगी।

4.3.4.2 द्वितीयक परिवहन के लिए वाहनों के आकलन के लिए त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.12, तालिका 2.4 और तालिका 2.5 के अनुसार, एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के द्वितीयक परिवहन के लिए एक रिफ्यूज कॉम्पैक्टर का उपयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से एक लाख से कम आबादी वाले तीन²² निकायों में, राज्य मिशन निदेशक ने 2019-20 के दौरान प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में प्रति कॉम्पैक्टर ₹ 30 लाख की दर से निधि अवमुक्त किया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.12** में वर्णित है। इनमें से दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई और नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस) ने क्रमशः मार्च 2020 और जनवरी 2021 में ₹ 59.76 लाख की लागत से कॉम्पैक्टर क्रय किये गए। अग्रेतर, लेखापरीक्षा²³ के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन में, दोनों कॉम्पैक्टर क्रय किये जाने के बाद से अप्रयुक्त पड़े थे जो राज्य मिशन निदेशक द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण को दर्शाते हैं।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि दोनों कॉम्पैक्टर शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किये जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों शहरी स्थानीय निकायों ने स्वीकार किया था कि कॉम्पैक्टर उपयोग में नहीं थे। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए कॉम्पैक्टर की स्वीकृति और क्रय के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी में उठाये गये विषय पर उत्तर नहीं दिया।

संक्षेप में : घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, भूमि भरण या क्षेपण स्थल पर किये जाने से जिससे अपशिष्ट पृथक्करण के सम्पूर्ण उद्देश्य एवं प्रयास विफल हो गये। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। शहरी स्थानीय निकायों

²² नगर पालिका परिषद शाहाबाद (हरदोई) नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव (हाथरस) एवं नगर पालिका परिषद उतरौला (बलरामपुर)।

²³ नगर पालिका परिषद शाहाबाद (हरदोई) में मई 2022 तथा नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव (हाथरस) में मार्च 2022।

द्वारा क्रय किये गये वाहन पृथक्कृत अपशिष्ट का दक्षतापूर्वक संग्रहण और परिवहन करने के लिए उपयुक्त रूप से डिजाईन नहीं किये गए थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों से द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा का अपर्याप्त आच्छादन पाया गया।

अनुशंसा 7: राज्य सरकार को अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं और संग्रहकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करके अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिये और सख्त अनुश्रवण और कार्यान्वयन व्यवस्था के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक्कीकृत अपशिष्ट को मिश्रित होने से रोकना चाहिये।

अनुशंसा 8: सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का उपयोग समुचित क्रियाशीलता एवं धर्मकाँटा सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 9: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की उचित व्यवस्था हो और शहरी स्थानीय निकायों में सभी घर द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं से आच्छादित हों।